

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

सोमवार, 28 मार्च, 1994/चैत्र 7, 1916 शक् १९५४

संख्या-77

विनियोग लेखा अनुदान विधेयक, 1994

प्रो. जगदीश मुखी, वित्त मंत्री द्वारा माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, जो सम्बोधित पत्र सं. फ. 2/94/ए. एफ. एस. /94-95/फाइन. बी। दिनांक 22 मार्च, 1994 की प्रतिलिपि।

"अप्रैल तथा मई 1994 की अवधि से सम्बन्धित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन की संचित निधि से भुगतान प्राप्ति करने तथा कुछ राशि का विनियोजन करने से सम्बन्धित विनियोजन विधेयक लेखा अनुदान 1994 की विषय वस्तु को सूचित करने पर उपराज्यपाल महोदय ने उक्त विधेयक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम की धारा 22 की उपधारा १। तथा ३ के साथ पठित धारा ३। की उपधारा :। के अन्तर्गत दिल्ली विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत एवं विचार हेतु संस्तुत किया है।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART-II

(General information relating to Assembly and other matters)

Monday, 28 March, 1994 / Chaitra 7, 1916 (Saka)

No. 77

The Appropriation (Vote on Account) Bill, 1994

(Copy of letter No.F.2/94/AFS/94-95/Fin. (B)  
dated 22 March, 1994 from Prof. Jagdish Mukhi,  
Minister of Finance to the Hon'ble Speaker, Delhi  
Vidhan Sabha).

Appropriation  
1994.

"The Hon'ble Lt. Governor, Delhi, having been informed  
of the subject matter of the proposed Bill to authorise for  
payment and / of certain sums from and out of the Consoli-  
dated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the  
services in respect of the months of April & May, / recommends  
under Sub-Section (1) of Section 21 of the Government of  
National Capital Territory of Delhi Act, 1991 read with  
Sub-Section (1) & (3) of Section 22 thereof, the introduction  
of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1994 and the  
consideration of the Bill by the Legislative Assembly of  
National Capital Territory of Delhi."

P.N. GUPTA  
SECRETARY